भी स्वर्ण सि ह : यह बात ठीक है कि उनका हाई कम शन लंदन भीर एम्बैसी, पेरिस के साथ सम्बन्ध रहा है भीर

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हीं के महमान रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : महमान तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन उन से मेल जोल ग्रीर उनकी तरफ ने इतंजाम वगैरह रहे हैं यह बहुत ही गैर-वाजिब है। क्या कुछ प्रेस बाफेंस में कहा उसकी पूरी तफमोल का तो पता नहीं है...

श्री स॰ मो॰ बनर्जी: पता नहीं है?

श्री स्वर्ण सिंह: सारी प्रेस कान्फेंस की जो प्रेस िपोर्ट ग्राई है वह हमारे पास है। उन्होंने वहां जो काश्मीर के बारे में कहा वह ऐसा है जैसा वह यहां कहते थे। न यहां के उनके बयान हमें पसन्द हैं और न वहां के पसन्द हैं।

स्राप्यक्ष महोदय: रुपया जो वहां इकट्ठा किया गया था।

श्च[.] स्वर्ण सिंह: रुपये का हमें इल्म नहीं है जो वहां से दिया गया है।

श्री रामेश्वरानन्द: श्रध्यक्ष महींदय---

म्राप्यक्त महोदय : भ्राप बैठ जायें ।

श्री मेश्बरानन्दः मेरा निवेदन ग्राप सुन लें।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप ग्रब रुकावट न डालें।

श्री रामेश्वरानन्व: ग्रब्दुल्लाको जानते हुए भी जो इतना रुपया उसको दिया गया, भारत की निर्धन जनता का इतना रुपया उनको बहाने के लिए दिया गया, उसका क्या मतलब है ? कैसे प्रापको इस तरह से रूपया देने का श्र**ब**स्यार था ?

12.31 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT, POSTS AND TELEGRAPHS, 1965 ETC.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

 Audit Report, Posts and Telegraphs, 1965, under article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, see No. LT-4103/65].

(ii) Appropriation Accounts, Posts and Telegraphs, 1963-64

[Placed in Library, see No. LT-4104/65].

Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): I beg to lay on the Table a copy of the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1965, published in Notification No. G.S.R. 339 dated the 6th March, 1965, under section 10 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948.

[Placed in Library, see No. LT-4095|65].

Notifications under All India Services Act

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951.—

(i) The All India Services (Provident Fund) Amendment